Regarding need for one time loan waiver to farmers to reduce debt burden-Laid

श्री अमरा राम **(**सीकर**) :** देश में एल पी जी की नीतियां लागू करने के बाद इनपुट खाद, बीज, डीजल, पेस्टिसाइड्स तमाम इनपुट्स कंपनियों के हवाले करने से कीमत में भारी वृद्धि हुई है तथा किसानों को जींस की पहले वाली कीमत नहीं मिलती तथा कंपनियां नकली खाद व बीज, किसानों को देकर नुकसान पहुंचाती हैं । पकड़े जाने पर मात्र ₹500 का जुर्माने का प्रावधान होने से कंपनियों कोई फर्क नही पड़ता । इस कारण से किसान कर्जदार होता गया तथा इस कर्जे के कारण लाखों किसानों ने मौत को गले लगा लिया । इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया तथा रिपोर्ट प्राप्त हुई । लेकिन 2006 से पैदावार के लाभकारी भाव की कानूनी गारंटी आज तक नहीं दी गई । अतः देश के किसानों द्वारा केसीसी एवं पशुपालन पर लिया गया ऋण एक दफा माफ करके किसानों को कर्ज मुक्त करें । किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद कम है । अत: सरकार से अनुरोध है कि एक दफा किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए ताकि वे विकास में योगदान देने के लिए आगे आएं ।